उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (दिग्गी)

2024/143

कैलाश व अन्य बनाम आबदीलाल व अन्य
प्रा० का टी० आई० 121/2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/10/23	पत्रावली पेश [illegible] साहब अन्य राज्य कार्य [illegible] अतः पत्रावली पूर्वानुसार दि. 15/1/24 को पेश हो।)
	15/1/24	[illegible] साहब [illegible] है। अतः [illegible] 2/2/24
	02/02/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण अधिवक्ता को न्यायालय समय समाप्ति तक बार बार आवाज लगवाई गई। बार बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वाद/प्रार्थनापत्र दायरी दिनांक 10.06.22 के क्रम में आज दिनांक तक भी तामील अप्रार्थीगण हेतु नियत है। तथा एक तरफा अन्तरिम स्थगन दिनांक 10.06.22 के क्रम में निरन्तर अवसर दिए जाने के उपरान्त भी आदेश की पालनार्थ अप्रार्थीगण तामील आज दिनांक तक प्रभावी रूप से प्रस्तुत पूर्ण नहीं की गई है। इससे पूर्व में भी आदेशित किया गया है परन्तु तामील पूर्ण रूप से नहीं की गई है तथा आज नियत तारीख पर अनुपस्थित है। [illegible] का प्रार्थनापत्र टी.आई. [illegible] अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (दिग्गी)

Signature Not Ve
Digitally signed by Ma
Date: 2024.02.07 15:
Reason: SelfAttested